

प्रेस नोट थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर दिनांक 02.01.2023

गोरखनाथ मंदिर में बम की फर्जी सूचना देने वाला गिरफ्तार

जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाये जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिये चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल मार्ग निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैण्ट के कुशल मार्गदर्शन में श्री शशि भूषण राय प्रभारी निरीक्षक कैण्ट पुलिस की टीम द्वारा गोरखनाथ मंदिर में बम की झूठी सूचना देने वाले व्यक्ति कुर्बान अली(उम्र 24 वर्ष) पुत्र मो.रहीम अली निवासी उपरौल उर्फ धर्मपुर धरम जनपद वैशाली बिहार को गिरफ्तार कर, थाना कैण्ट पर मु0अ0सं0 03/2023 धारा 419,420,467,478,471,182 भादवि पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण:-

गोरखनाथ मंदिर में बम की सूचना जरिये कन्ट्रोल रूम 112 को प्राप्त हुयी समस्त अधिकारीगण को इस बात की सूचना प्राप्त हुयी सूचना प्राप्त होते ही सर्विलांश के माध्यम से उक्त नम्बर की लोकेशन एंव कैफ प्राप्त करने के बाद नाम पता की जांच किया गया तो फोन ऑफ हो गया था उक्त व्यक्ति द्वारा अपना मोबाइल कुर्बान अली पुत्र मो.रहीम अली निवासी उपरौल उर्फ धर्मपुर धरम जनपद वैशाली बिहार तथा लोकल पता फ्लैट नंबर 3 गोलघर गोरखपुर का दिया था। गोलघर में जांच किया गया तो उसके सम्बन्ध में किसी ने भी नहीं बताया और उक्त पता भी किसी ने नहीं बताया। इस क्रम में मुखबिर की सूचना पर उक्त व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ में इसने बताया कि मैं बिहार उपरौल उर्फ धर्मपुर धरम जनपद वैशाली का रहने वाला हूँ, इन्डस्ट्रीयल एरिया में रेशम विभाग के पास लक्ष्मी बेकरी के यहा माल पहुचाने का काम करता हूँ। मैं अपना माल कल 01/01/2023 को पहुँचाने ले जा रहा था तभी धर्मशाला के पास एक आरक्षी ने मुझे ट्रैफिक नियम का उलंघन कर देने के लिए मुझे डाटा था तब मैं पुलिस को परेशान करने की नियत से एंव तंग करने के लिए 112 नम्बर पर शमशाद बनकर सूचना दिया कि 04 लोग केक के डब्बे में बम लेकर गोरखनाथ मंदिर के अंदर मेन गेट से प्रवेश कर गये है जो काले कपड़े में बड़े बड़े बाल रखे है सूचना दिया जब मुझे और फोन आने लगा तो मैंने अपना फोन बन्द कर लिया था। बाद में आप लोगो ने पकड़ लिया। पकड़े गये व्यक्ति के मोबाइल की रिकार्डिंग चेक किया गया तो 112 नम्बर की वार्ता की रिकार्डिंग प्राप्त हुयी।

उक्त फर्जी पता एंव फर्जी सूचना देने व फर्जी पते पर दस्तावेज बनाने के आधार पर थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर पर मु0अ0सं0 03/2023 धारा 419,420,467,478,471,182 भादवि0 पंजीकृत कर जेल भेजा जा रहा है और उक्त घटना का गहनता से जांच किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

कुर्बान अली(उम्र 24 वर्ष) पुत्र मो.रहीम अली निवासी उपरौल उर्फ धर्मपुर धरम जनपद वैशाली बिहार

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 03/2023 धारा 419,420,467,478,471,182 भादवि थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी की टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री शशि भूषण राय थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर

2. उ०नि० धीरेन्द्र कुमार राय चौकी प्रभारी जटेपुर थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
3. कां० रोहित यादव थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
4. कां० अशोक यादव थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
5. कां० रविन्द्र यादव थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
6. म०कां० आशीष कुमारी थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर